संख्या- 23 /2025/120 /चार-2025-1887822

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 16 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व- महाकुम्भ पर्व के अवसर पर महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अन्तर्गत भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डिजिटल प्रदर्शनी हेतु डिजिटल सामग्री का क्रय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4017/सं0नि0-15(105)/2024-25, दिनांक 07 जनवरी, 2025 तथा कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1103/ भा0सं0वि0 वि0-1(40)/2024 दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर प्रस्तावित डिजिटल प्रदर्शनी के आयोजन हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय तथा यूपीडेस्को के माध्यम से डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनवाये जाने के संबंध में रू0 61.00 लाख का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर निम्नलिखित विवरणानुसार डिजिटल प्रदर्शनी के आयोजन में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री का क्रय तथा यूपीडेस्को के माध्यम से डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनवाये जाने हेतु रू0 61.00 लाख (रूपये इकसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	विवरण	अनुमानित व्यय
1	Hardware 86 inch Display 86 inch Touch Display Digital Kiosk (43 inch Horizontal)	10.00 लाख
2	Flip Book and Digital Quiz	10.00 लाख
3	Documentary (2 Documentary 5 Minutes each)	20.00 लाख
4	AR App	21.00 लाख
	योग	**61.00 लाख**

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) डॉक्यूमेंटरी फिल्म सूचना विभाग/ DAVP की दरों पर बनायी जायेंगी। AR/VR हेतु मेला प्राधिकरण/ पर्यटन विभाग की दरों की भी तुलना कर न्यूनतम दरों पर कार्य कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
(9) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।
(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(12) भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा वित्तीय औचित्य के मानकों एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर डिजिटल प्रदर्शनी हेतु सामग्री क्रय संबंधी कार्य पूर्ण कराए जाएं तथा कार्य पूर्ण कराये जाने के उपरान्त कराये गये कार्यों पर व्यय की गयी धनराशियों के बिल वाउचर सत्यापित कर व्यय की गयी धनराशि के बिल भुगतान हेतु संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराये जाएंगे।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 23 /2025 / 120 (1)/चार-2025-1887822 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in